

कार्यालय ग्राम पंचायत –जनपद पंचायत –, जिला –(म.प्र.)
क्र./ग्रा.पं./20..... / दिनांक/...../20.....

आदेश (प्रारूप)

वन समिति सह जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन

देश की प्रचुर जैवविविधता के संरक्षण/संवहनीय उपयोग एवं उपयोग से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 अधिसूचित किया गया है।

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (2) में संशोधन अनुसार वन विभाग की वन समिति को जैवविविधता प्रबंधन समितियों को दायित्व प्रदान कर “वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” का गठन किया जाना है। इस क्रम में वन समिति वन परिक्षेत्र, वनमण्डल जिला के निम्न सदस्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति के अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकित कर “वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” का गठन एतद् द्वारा किया जाता है।

अशासकीय सदस्य

“वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” में सात अशासकीय सदस्य एतद् द्वारा निम्नानुसार नामनिर्देशित किये जाते हैं।

| क्र. | सदस्य का नाम एवं पता | जाति | विषय विशेषज्ञ | पद |
|------|----------------------|------|---------------|-------|
| 1 | | | | सदस्य |
| 2 | | | | सदस्य |
| 3 | | | | सदस्य |
| 4 | | | | सदस्य |
| 5 | | | | सदस्य |
| 6 | | | | सदस्य |
| 7 | | | | सदस्य |

अध्यक्ष का निर्वाचन –

समिति की बैठक में उपरोक्त सात अशासकीय नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा सदस्य श्री को “वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।

विशेष आमंत्रित सदस्य (शासकीय पदाधिकारी)

“वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” में निम्नानुसार छः विशेष आमंत्रितों शासकीय पदाधिकारियों (वन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मछलीपालन विभाग तथा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों) को एतद् द्वारा निम्नानुसार नामनिर्देशित किया जाता है।

| क्र. | पदनाम | कार्यालय का पता | विभाग | पद (सचिव / सदस्य) |
|------|-------|-----------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | सदस्य |
| 2 | | | | सदस्य |
| 3 | | | | सदस्य |
| 4 | | | | सदस्य |
| 5 | | | | सदस्य |
| 6 | | | | सदस्य |

नोट – वन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य, मछलीपालन, शिक्षा विभाग के ग्राम पंचायत स्तर के मैदानी कर्मचारी समिति के सदस्य होंगे।

सचिव का नामांकन –

समिति की बैठक में छः विशेष आमंत्रितों शासकीय पदाधिकारियों सदस्यों में से विशेष आमंत्रित सदस्य श्री विभाग को “वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” का सचिव नामांकित किया गया है।

समिति गठन में निम्न नियमों का पालन किया गया है:-

- “वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” में सदस्य के रूप में नामनिर्देशित सात व्यक्तियों (जिनमें महिलायें एक तिहाई से कम नहीं होंगी) को स्थानीय जानकार व्यक्तियों – जड़ी-बूटी विशेषज्ञ, कृषक, गैर काष्ठ वन उपज संग्राहक/व्यापारी, मछुआरा (फिशरफोक), उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् या किसी संगठन का कोई व्यक्ति/प्रतिनिधि में से लिया जाये,
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्याओं का अनुपात जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये,
- समस्त अशासकीय सदस्य स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर के निवासी होने चाहिये एवं उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिये,
- ग्राम पंचायत स्तर की “वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” के लिये स्थानीय निकाय द्वारा नियम 23 (4) अनुसार समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में से प्राथमिकता के आधार पर वन बाहुल्य क्षेत्रों में समिति के कार्य क्षेत्र के बीट गार्ड अथवा परिक्षेत्र सहायक (प्राथमिकता के आधार पर) या अन्य गैर वानकी जैवविविधता क्षेत्रों में अन्य शासकीय विभाग के मैदानी कर्मचारी को जैवविविधता प्रबंधन समिति के सचिव के रूप में नामांकित किया जावे।

“वन समिति (जे एफ एम एस) सह जैवविविधता प्रबंधन समिति” का संपर्क पता :—
 ग्राम पंचायत
 जनपद पंचायत / विकास खंड
 जिला
 पिन कोड
 संपर्क दूरभाष / मोबाइल / ईमेल

सचिव / सरपंच
(हस्ताक्षर सील सहित)
 ग्राम पंचायत —,
 जनपद पंचायत —,
 जिला —(म.प्र.)

पृ. क्र. / ग्रा.पं. / 20..... / दिनांक / / 20.....

प्रतिलिपि :—

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26, प्रथम तल, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
3. कलेक्टर, जिला(म.प्र.)
4. क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत(म.प्र.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत(म.प्र.)
7. जिला अधिकारी (पद) विभाग (विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी का विभाग) जिला (म.प्र.)
8. सर्व संबंधित सदस्यों/विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारियों
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव / सरपंच